प्रेस नोट थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा

बडी कार्यवाही करते हुये थाना एम.एम गेट पुलिस टीम द्वारा दुकानों, बन्द मकानों एवं ई-रिक्शा आदि की चोरी करने वाले 07 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से ई-रिक्शा सहित चोरी का अन्य सामान बरामद.....

दिनांक 23.06.2021 को वादी दीपक अग्रवाल पुत्र अमरनाथ अग्रवाल निवासी त्रिवेणी नगर गढी भदौरिया थाना जगदीशपुरा द्वारा थाना एम.एम.गेट पर तहरीर दी गयी कि प्रार्थी की दाल सेव चौराहे पर आटा-चक्की की दुकान है। दिनांक 05.06.2021 की रात को मेरी दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा लोहे के सभी बाट, पानी की टण्की व गल्ले में रखे 1000-1200 रुपये चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना एम.एम.गेट पर मु0अ0सं0 56/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 23.06.2021 को वादी सुनील शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा निवासी मोती कटरा थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा द्वारा थाना एम.एम गेट पर तहरीर दी गयी कि वादी मयूरी ई-रिक्शा चलाता है। दिनांक 22.06.2021 की रात मैंने अपना ई-रिक्शा अपने घर के सामने खडा किया था तो लौट कर देखा तो अज्ञात चोर मेरे ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करके ले गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना एम.एम.गेट पर मु0अ0सं0 57/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटनाओं के सफल अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एम.एम गेट को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 25.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि राजा मण्डी से एस.एम इमरजेन्सी जाने वाले मार्ग पर अर्टिगा कार में सवार 06-07 व्यक्ति चोरी की बैट्रियाँ बेच रहे हैं। यदि जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते हैं।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरणः-

पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुँचे तो कार सवार सभी व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा गाडी का पीछा करते हुये मोती कटरा मार्ग पर

चारों ओर से घोर-घोट कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभि0गण के कब्जे से 41,110 रुपये, 02 अदद बैटरी, एक प्लास्टिक का बोरा जिसमें 04 बाट चोरी के बरामद हुये।

पूछताछ का विवरण

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 1. सतेन्द्र कुमार उर्फ नीशू 2. भोला पुत्र राजपाल ठाकुर 3. सुनील उर्फ कौदरिया 4. इरशाद पुत्र निजाम उर्फ मामू उर्फ मम्मा 5.वसीम 6. विकास उर्फ शेरा व 7. भारत बताया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में अभि0गण द्वारा बताया गया कि हम लोग जनपद फिरोजाबाद रहने वाले हैं एवं फिरोजाबाद के अतिरिक्त जनपद हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, आगरा व अन्य आस पास जनपदों में ई- रिक्शा , ई-रिक्शा की बैटरी, दुकानों, बन्द मकानों आदि में चोरी करते हैं, जो सामान मिलता है, उन्हे राह चलते लोगों के बेच देते हैं और जो रुपये प्राप्त होते हैं, उन्हे आपस में बाँट लेते हैं।

अभि0गण द्वारा की गई अन्य घटनाओं का विवरण:-

01. दिनांक 07.03.2021 को सब्जी मण्डी गेट के पास सुपर मार्केट में स्थित किराने की दुकान थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा से करीब 02 लाख रुपये के सामान की चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाईवे जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0 229/2021 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया था।

02. दिनांक 06.05.2021 को अभि0गण द्वारा सब्जी मण्डी गेट के पास सुपर मार्केट में स्थित किराने की दुकान थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा की छत काट कर 25 किलो बादाम, 10 किलो पिस्ता, 20 किलो लोंग, 10 किलो छोटी इलायची, 30 किलो काली मिर्च, 20 किलो देशी घी सहित करीब 02 - 2.5 लाख के माल की चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाईवे जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0 484/21 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया था।

03. अभि0गण द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.06.2021 को हम लोगों ने छीपीटोला थाना रकाबगंज से 01 ई-रिक्शा चोरी किया था जिसका न0 UP 80 FT 2787 था। इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर मु0अ0सं0 94/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सतेन्द्र कुमार उर्फ नीशू पुत्र राज कुमार गुप्ता नि0 संजय नगर थाना लाईनपार जनपद फिरोजाबाद।
2. भोला पुत्र राजपाल ठाकुर नि0 गली नं0 8 रसूलपुर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद हाल पता उर्वशी टाकिज शम्मी ट्रांसपोर्ट थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
3. सुनील उर्फ कौदरिया पुत्र सुरेश नाई नि0 विष्णु नगला थाना लाइन पार जनपद फिरोजाबाद मूल निवासी बडा मौहल्ला शिकोहाबाद थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
4. इरशाद पुत्र निजाम उर्फ मामू उर्फ मम्मा नि0 कोटला मौहल्ला थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद
5.वसीम पुत्र नन्ने नि0 नवादा मक्खनपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
6. विकास उर्फ शेरा पुत्र श्यामविहारी कुशवाह नि0 नवादा मक्खनपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद
7. भारत पुत्र पातीराम राठोर नि0 गली नं0 10/3 करवला थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

01. 41,110/-रूपये (चोरी के सामान बेचकर प्राप्त रुपयों में शेष)।
2. 01 अदद कार अर्टिगा (चोरी में प्रयुक्त)।
3. 01 अदद ईको गाडी (चोरी में प्रयुक्त)।
4. 01 अदद ई रिक्शा ।
5. 02 अदद बैटरी।
6. 4 अदद बाट।

आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 58/21 धारा 380 भादवि थाना मदन मोहन गेट आगरा।
02. मु0अ0सं0 57/21 धारा 379 भादवि थाना मदन मोहन गेट आगरा।
03. मु0अ0सं0 93/21 धारा 379 भादवि थाना रकाबगंज जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 229/21 धारा 380/457 भादवि थाना हाइवे जनपद मथुरा।
05. मु0अ0सं0 484 /21 धारा 380/457 भादवि थाना हाइवे जनपद मथुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार अवस्थी थाना एम एम गेट आगरा।
2. उ0नि0 सोनू कुमार चौकी प्रभारी के.के. खां थाना एम एम गेट आगरा।
3. उ0नि0 अवधेश कुमार गौतम थाना एम एम गेट आगरा।

4. उ0नि0 कुलदीप कुमार चौकी प्रभारी डिवीजन थाना रकाबगंज आगरा।
5. उ0नि0 राजीव कुमार थाना रकाबगंज आगरा।
6. है0का0 विपिन कुमार थाना रकाबगंज आगरा।
7. है0का0 अशोक कुमार थाना एम एम गेट आगरा।
7. का0 नीटू व रि0का0 अभिजीत थाना एम एम गेट आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।